UPME010037522020

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 09, मेरठ।
एस.टी.नं0 255/2020
एस.सी.नं0 374/2020
सरकार बनाम राहुल आदि
धारा 352,302,34 भा0द0सं0
मु.अ.सं. 661/2019
थाना किठौर, जिला मेरठ।

दिनांक – 16.10.2023

निस्तारण प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क/1 अ0धारा 319 द0प्र0सं0

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। विगत तिथि पर वादी मुकदमा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना जा चुका है।

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क/1 मय शपथपत्र 10क/2 वादी मुकदमा धर्मेन्द्र त्यागी की ओर से धारा 319 द0प्र0सं0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में आरोप नियत होने के पश्चात उसके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी मुख्य परीक्षा के सशपथ बयान में नामजद अभियुक्तगण के अतिरिक्त पारूल पुत्र जगदीश का नाम उक्त घटना में स्पष्ट किया है। साक्षी ने अपने बयान में बताया है कि पारूल पुत्र जगदीश निवासी ग्राम महलवाला ने ही ईट जमीन से उठाकर दी थी जो राहुल ने करन के सिर पर मारी जिससे करन की मौके पर ही मृत्यु हो गयी थी तथा बयान की 15वीं पंक्ति में पारूल द्वारा ईंट उठाकर राहुल के देना अंकित है। वादी ने थाना किठौर पर हस्ताक्षरयुक्त एक प्रार्थनापत्र प्रेषित कियका था जिसमें अभियुक्त पारूल का नाम अंकित किया था किन्तु साल के तहज थानाहाजा पर किसी अन्य प्रार्थनापत्र पर वादी के हस्ताक्षर कराकर मुकदमा अपराध सं0 661/2019 कायम किया था और अभियुक्त पारूल का नाम दूसरे प्रार्थनापत्र से हटाकर दिया गया था। निवेदन किया गया कि वादी/चश्मदीद साक्षी के बयान के आधार पर धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत अभियुक्त पारूल पुत्र जगदीश निवासी महलवाला, थाना किठौर मेरठ, को तलब कर साक्ष्य के आधार पर दण्डित करने की कृपा करें।

अभियोजन की ओर से कहा गया है कि अभियुक्तगण को सुनवाई एवं आपत्ति का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

धारा 319 द0प्र0सं0 के अनुसार

जहां किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति ने, जो अभियुक्त नहीं है, ऐसा कोई अपराध किया है, जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचारण किया जा सकता है, वहां न्यायालय उस व्यक्ति के विरूद्ध उस अपराध के लिए जिसका उसके द्वारा किया जाना प्रतीत होता है, कार्यवाही कर सकता है।

मामले से संबंधित पत्रावली के अवलोकन से विदित हे कि प्रस्तुत मामले में प्रारंभिक तौर पर वादी मुकदमा धर्मेन्द्र त्यागी की ओर से संबंधित थाना किठौर में तहरीर प्रस्तुत की गयी जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि–

'' निवेदन है कि प्रार्थी मैं धर्मेन्द्र त्यागी पुत्र करन सिंह त्यागी आज दिनांक 18.11.2019 की घटना है। हम अपने घर में दीवार चिनवा रहे थे। लगभग 3:00 बजे से 3:30 बजे के बीच राहुल पुत्र जगदीश त्यागी, तपराज त्यागी पुत्र डालचंद त्यागी, सचिन पुत्र तपराज त्यागी, ग्राम महलवाला थाना किठौर ने हमला कर दिया। उनके पास लाठी डंडे तमंचा वगैरा थे। मेरे पिताजी की मौके पर ही मौत हो गयी तथा शोर सुनकर मौहल्ले के

काफी लोग इकट्ठा हो गये। आप उचित कार्यवाही करने की कृपा करें। हमें उपरोक्त से जान का खतरा है। ''

संबंधित थाने पर प्रारंभिक तौर पर धारा 352, 504 भा0द0सं0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत हुआ। विवेचक द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही संचालित की गयी। मौखिक एवं प्रलेखीय साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचक द्वारा अभियुक्तगण राहुल, तपराज त्यागी व सचिन के विरूद्व भा0द0सं0 की धारा 352, 302, 34 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। विद्वान दण्डाधिकारी महोदय द्वारा सत्र सुपुर्दगी की गयी तथा सत्र सुपुर्दगी के उपरांत दिनांक 22.03.2022 को अभियुक्तगण राहुल, तपराज त्यागी एवं सचिन के विरूद्व धारा 352, 302 सपठित धारा 34 में आरोप विरचित किया गया।

न्यायालय के समक्ष विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई तथा वादी मुकदमा पीडब्लू–1 धर्मेन्द्र त्यागी के बयान के अनुक्रम में प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क अभियोजन की ओर से धारा 319 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया। प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया गया कि चक्षुदर्शी साक्षी धर्मेन्द्र के बयानों के आधार पर अभियुक्त पारूल जिसका उल्लेख प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क में है, को तलब किया जाए।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में **नरेश बनाम स्टेट आफ यू0पी0 एवं अन्य 2015 (3) जेआईसी 274 (इलाहाबाद)** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिपादित मत का प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में ध्यानपूर्वक परिशीलन किया गया।

प्रस्तुत मामले में तहरीर के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि प्रारंभिक तौर पर पारूल की किसी भी भूमिका के बारे में तहरीर में उल्लेख नही है। विवेचक ने विवेचना के अनुक्रम में विभिन्न चक्षुदर्शी साक्षीगण के साक्ष्य अंकित किये है। ऐसा कोई प्रमाणक साक्ष्य प्रस्तावित अभियुक्त के संदर्भ में विवेचना के अनुक्रम में विवेचक द्वारा नही पाया गया है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 में वादी पक्ष का कथन है कि पीडब्लू–1 ने न्यायालय के समक्ष अपने सशपथ बयान में पारूल द्वारा ईंट उठाकर देना बताया है। यह भी कहा गया है कि थानाध्यक्ष द्वारा साज करके अन्य प्रार्थनापत्र पर वादी के हस्ताक्षर कराकर अभियुक्त पारूल का नाम दूसरे प्रार्थनापत्र से हटा दिया गया। उल्लेखनीय है कि इस स्तर पर पत्रावली पर जो साक्ष्य हैं, इस संदर्भ में उल्लिखित तहरीर जिसे बदले जाने का कथन एक मात्र विचारण के बयान में वादी द्वारा कहा गया है इसकी संपुष्टि के संदर्भ में अन्य कोई साक्ष्य नही है।

प्रथमतः यह स्पष्ट है कि जो प्रार्थनापत्र तहरीर के रूप में वादी की ओर से दी गयी है उसका अक्षरशः इन्द्राज चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में किया गया है।

स्पष्ट है कि ऐसे मामले में पत्रावली पर जो समग्र साक्ष्य है उनको एक साथ देखा जाना न्यायसंगत है। इस स्तर पर स्पष्ट है कि ऐसा कोई प्रमाणक साक्ष्य नही है जिससे यह साबित होता हो कि यदि कोई तहरीर बदली गयी तो इसकी कोई शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से वादी पक्ष द्वारा की गयी हो। जिरह में साक्षी ने कथन किया है कि तहरीर पर मैनें हस्ताक्षर किये थे।

हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य 2014 (85) ए.सी.सी. 313, में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य अभिमत के साथ यह मत व्यक्त किया गया है कि अन्य सह अभियुक्त के साथ दोषिता के लिए मजबूत साक्ष्य होना चाहिए। केवल संभावना नही होनी चाहिए, जो प्रथम दृष्टया केस से अधिक हो।

राकेश व अन्य बनाम हरियाणा राज्य, 2001 (43) ए.सी.सी. 392, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 319 द0प्र0सं0 में साक्ष्य का अर्थ जिरह में आया कथन नही है, बल्कि उक्त साक्ष्य का व्यापक अर्थ है, जिसमें विवेचनाधिकारी द्वारा एकत्रित साक्ष्य व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य आते हैं।

कु0 मोना व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य 2007 (57) ए0सी0सी0 65 में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 319 द0प्र0सं0 के

अन्तर्गत किसी व्यक्ति को केवल विचारण हेतु तलब नही किया जाना चाहिए, बल्कि उसकी दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त संभाव्यता होने पर ही तलब किया जाना चाहिए।

रवि अग्रवाल बनाम उ0प्र0राज्य 2016 (92) ए.सी.सी. 255, में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अवधारित किया गया है कि केवल व्यक्तिगत राय के आधार पर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में संलिप्त नही माना जा सकता और उसे धारा 319 द0प्र0सं0 में विचारण हेतु तलब नही किया जा सकता।

सर्वजीत सिंह व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य 2009 सीआर.एल.जे. 3978, सुप्रीम कोर्ट, में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित किया गया है कि धारा 319 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बतौर अभियुक्त तलब किये जाने का आदेश मात्र इस आधार पर पारित नही किया जाना चाहिए, कि उस व्यक्ति को प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित किया गया है और कोई एक गवाह उस नामित व्यक्ति को घटना में सम्मिलित होना दर्शाता है। न्यायालय को ऐसे मामलों में यह देखना चाहिए कि तलब किये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्व पर्याप्त व समुचित साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है।

बृजेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2017 (100) ए.सी.सी. 601 सुप्रीम कोर्ट, के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि धारा 319 द0प्र0सं0 की शक्तियों का प्रयोग न्यायालय को केवल तभी करना चाहिए जबकि प्रस्तावित अभियुक्त के विरूद्व ठोस व संतोषजनक साक्ष्य हो केवल संभावनाओं के आधार पर उसकी संलिप्तता को नही माना जा सकता है। संभावनाओं से ऊपर साक्ष्य होना चाहिए।

कन्हैया लाल गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य 2016 (97) ए.सी.सी. 99 (इलाहाबाद हाई कोर्ट) के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि धारा 319 द0प्र0सं0 की शक्तियां विवेकीय एवं असाधारण हैं। इसे सावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। मामले की परिस्थितियों में यदि वांछित हो तभी इसका प्रयोग किया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो दर्ज हुई है उसमें प्रस्तावित अभियुक्त का नाम नही है। विवेचना के अनुक्रम में विवेचक ने प्रस्तावित अभियुक्त के संदर्भ में कोई प्रमाणक साक्ष्य नही पाया है। विवेचना के उपरांत केवल अभियुक्तगण राहुल, तपराज त्यागी एवं सचिन के विरूद्व आरोप पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तावित अभियुक्त पारूल का नाम प्रथम बार दौरान साक्ष्य वादी द्वारा प्रकाश में लाया गया है। विवेचना के अनुक्रम में कोई साक्ष्य नही है।

अभियोजन/वादी की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था अतिसम्मानीय है किन्तु उसका कोई भी लाभ वर्तमान मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष को प्राप्त नही है।

उपरोक्त समग्र विश्लेषण से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क अन्तर्गत धारा 319 द0प्र0सं0 इस स्तर पर स्वीकार किये जाने का कोई न्यायसंगत आधार नही है।

आदेश

प्रार्थनापत्र कागज संख्या 10क निरस्त किया जाता है। अभियोजन साक्षी पीडब्लू–1 शेष साक्ष्य हेतु तलब हो। पत्रावली वास्ते शेष साक्ष्य अभियोजन दिनांक 31.10.2023 को पेश हो।

दिनाक–16.10.2023

(ब्रजेश मणि त्रिपाठी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–09, मेरठ।
जे.ओ.कोड यूपी 6065

This is uncertified copy for information reference. For authentic copy please refer to certified copy.